(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1336–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 22/अपील/1998–99.

1. अरूण कुमार
2. कृष्ण कुमार
3. राजकुमार
4. अश्विनी कुमार सभी के पिता रामशरन
सभी निवासी ग्राम गड़हरा तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. कौशल प्रसाद मृत वारिस–
(1) जगमोहन प्रसाद त्रिपाठी
(2) श्रीमती चम्पा देवी अग्रवाल पत्नी स्व0 श्यामलाल अग्रवाल
(3) सूर्यप्रकाश त्रिपाठी
(4) दयाशंकन त्रिपाठी
(5) श्री कान्त त्रिपाठी
(6) शान्ती देवी
(7) मीरादेवी पुत्र पुत्रियां स्व0 श्री कौशलप्रसाद त्रिपाठी
निवासी गडहरा तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
2. अंशिता पत्नी स्व0 श्यामसरजू
3. दिनेश तनय स्व0 श्यामसरजू
4. रामलखन मृत वारिसान–
(1) जिरिया पत्नी स्व0 रामलखन
(2) महेश पुत्र स्व0 रामलखन
(3) सुरेन्द्र पुत्र स्व0 रामलखन
(4) मुनेन्द्र पुत्र स्व0 रामलखन
निवासीगण ग्राम गडहरा, तहसील रामपुर नैकिन,
जिला सीधी
5. गुलबसिया पत्नी स्व0 रामसजीवन
6. अनिल कुमार रामसजीवन
7. मु0 शकुन्तला देवी बेवा अवधलाल
8. बाल्मीक मृत वारिस–
(1) राघवेन्द्र पुत्र स्व0 बाल्मीक

निवासी ग्राम गडहरा तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी म0प्र0
9. रामराज पिता रामप्रताप
10.देवराज पिता रामप्रताप
11.भुवनेश्वर प्रसाद मृत वारिस–
(1) रामेश पुत्र स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद
(2) कमलेश पुत्र स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद
निवासीगण ग्राम गडहरा तहसील रामपुर नेकिन
जिला सीधी म0प्र0
12. सीता प्रसाद
13. सम्पति प्रसाद दोनों के पिता हरिहर प्रसाद
14. रामभुवन मृत वारिस–
(1) सूर्य भान पुत्र स्व0 रामभुवन
(2) रावेन्द्र पुत्र स्व0 रामभुवन
15. त्रिभुवन
16. माधव
17. जवाहर लाल
18. चन्द्रमणि
19. हीरालाल
20. चन्द्रशेखर सभी के पिता राजाराम
21. बद्री प्रसाद
22. केदार प्रसाद दोनों के पिता गोपाल प्रसाद
23. सुमित्रा देवी बेवा रामगोपाल
सभी निवासी ग्राम गड़हरा तहसील रामपुर नेकिन
जिला सीधी म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 30–3–2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन ने प्रकरण कमांक 16/अ–46/95–96 में दिनांक 22–7–96 को आदेश पारित करे हुये ग्राम पैपखारा की भूमि खसरा कमांक 25 रकवा 0.214, 206 रकवा 0.385, 107 रकवा 0.008 एवं 110 रकवा 0.227 कुल किता 4 0.834 है0 का नामांतरण अभिलिखित भूमिस्वामीयों के स्थान पर अनावेदक कमांक 1 कौशल प्रसाद के नाम पर भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 190/110 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण एवं शेष अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–10–98 को आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार की तथा विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया। अनावेदक कमांक 1 कौशलप्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–3–2007 से अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी आवेदकगण थे। अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध फर्जी तामील कराकरण अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया। संहिता की धारा 190/110 के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया। प्रकरण में किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं लिये गये और केवल पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि आवेदक द्वारा जानकारी दिनांक समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी। अतः तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की गई थी। अपर आयुक्त द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर निर्णय पारित करके अनुविभागीय अधिकारी के

आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि पर लम्बे कम्बे के आधार पर नायब तहसीलदार ने अनावेदक कमांक 1 के ना नामांतरण स्वीकार किया गया है। इश्तहार का प्रकाशन किया गया है और सूचना पत्र भी जारी हुये हैं। अनावेदक वर्ष 55–56 से प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज हैं इसलिए वह भूमिस्वामी हो गये हैं। आवेदक को नियमानुसार 12 वर्ष के भीतर प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक को बेदखल करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। अब आवेदक को कोई स्वत्व प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में शेष नहीं रह गये हैं। नायब तहसीलदार ने विधिवत प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करते हुये अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में आदेश पारित किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में त्रुटि की थी। इसलिए अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी को निरस्त किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन ने प्रकरण कमांक 16/अ–46/95–96 में दिनांक 22–7–96 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब पर विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया है। अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन के प्रतिउत्तर में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण समयावधि में मान्य कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर किया है। जहां तक गुण–दोषों का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है विचारण न्यायालय ने भूमिस्वामी को सूचना पत्र जारी किया है परन्तु उक्त सूचना पत्र का निर्वाहन होना प्रमाणित नहीं पाया है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार साक्ष्य

लिये कराये जाना भी परिलक्षित नहीं है। विचारण न्यायालय ने मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में नामांतरण करने में त्रुटि की है। जहां तक संहिता की धारा 190/110 का प्रश्न है उक्त धाराओं में प्रकिया सन्नहित है जिसका पालन नायब तहसीलदार द्वारा किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। इसीलिए अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने विलम्ब जैसे तकनिकी आधार पर आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा विधि में स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी कर पारित नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 30–3–2007 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी का आदेश दिनांक 29–10–98 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर